मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)-462011

☎ : 0755-4853295 / 4853297, वेबसाइट : www.mpbdc.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्र. 8096/एमपीबीडीसी/137/मा.सं./2024 भोपाल, दिनांकः 13 /09 /2024

मध्यप्रदेश भवन विकास निगम में परामर्शी के पद पर नियुक्ति

मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, राज्य शासन का एक प्रतिष्ठित उपक्रम है जो प्रदेश में भवन निर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण हेतु कटिबद्ध है। निगम अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु परामर्शी की सेवायें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 11-10/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर 2012 एवं इसके निरंतरता में परिपत्र क्र. एफ 11-01/2022/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24 मई 2022 में वर्णित शर्तो पर निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पदनाम	कुल पद	अर्हता	मानदेय
1	परामर्शी	01	• AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. ई./बी.टेक (सिविल) की उपाधि। • मध्यप्रदेश शासन, निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन/प्रभारी कार्यपालन यंत्री जिन्हें भवन निर्माण के साथ-साथ अन्य समकक्ष परियोजनाओं में 30 से अधिक वर्षो का अनुभव हो। • शासकीय अस्पातालों के निर्माण का अनुभव। • सी.एम.राइज स्कूल/डिग्री कॉलेज आदि शासकीय शैक्षणिक भवनों के निर्माण का अनुभव। • शासकीय छात्रावास अथवा अन्य आवासीय ईकाईयों के निर्माण का अनुभव। • अन्य शासकीय भवनों के निर्माण का अनुभव।	वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 11-01/2022/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24 मई 2022 अनुसार मानदेय श्रेणी-II में रू. 12.50 लाख प्रतिवर्ष देय होगा।

नोटः-

- कार्य की अवधि एक वर्ष के लिये होगी जिसे निगम की आवश्यकता अनुसार आपसी सहमति से आगामी 01 वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों में निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक/परिलाभ देय नहीं होगा।
- योग्य अभ्यर्थी का चयन पूर्णतः साक्षात्कार के माध्यम से होगा।
- आवेदक के विरूद्ध वर्तमान में किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही प्रचलित नहीं होना चाहिए। पूर्व के पांच वर्षो के गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30/09/2024 है। आवेदन पत्र का प्रारूप मध्यप्रदेश भवन विकास निगम की वेबसाईट www.mpbdc.gov.in पर उपलब्ध है।
- नियुक्तियों के संबंध में संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक का होगा।

मुख्य महाप्रबंधक
(मानव संसाधन एवं प्रशा.)